राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।
वाद संख्या–21/2024 एवं वाद संख्या–32/2024
दीपचंद रविदास बनाम् इन्द्रदेव पासवान।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–09.05.2024, दिनांक–02.07.2024, दिनांक–13.08.2024, दिनांक–12.09.2024 एवं दिनांक–01.10.2024 को हुई, जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष भारती उपस्थित रहे तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की तरफ से अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु श्री कुमार ब्रजेश, वरीय उपसमाहर्त्ता, किशनगंज एवं श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, अपर समाहर्त्ता (राजस्व) किशनगंज प्राधिकृत किये गये।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्री इन्द्रदेव पासवान नगरपरिषद किशनगंज के मुख्य पार्षद है। इनके द्वारा अपने नामांकन पत्र में आपराधिक मुकदमा मटिगारा थाना, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में दर्ज थाना कांड संख्या–667/2021 दिनांक–11.07.2021 को छिपाया गया है। इनके द्वारा आयोग को बताया गया कि श्री पासवान के विरूद्ध उक्त आपराधिक मुकदमा Immoral Trafficking Act कि धारा 3,5,7 एवं 8 के तहत दर्ज की गई है, जिसमें उनके विरूद्ध चार्जशीट दिनांक 11.07.2022 को दायर किया जा चुका था, जबकि उनके द्वारा दिनांक 16.09.2022 को नामांकन पत्र दायर किया गया था, अर्थात् नामांकन से पूर्व ही उनके विरूद्ध चार्जशीट दायर था, इसके बावजूद उनके द्वारा नामांकन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि उनके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है।

आगे उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा उक्त थाना काण्ड संख्या–667/2021 दिनांक–11.07.2021 में उनके द्वारा दिनांक 02.08.2021 को जमानत प्राप्त कि गई है, अर्थात् इनको नामांकन के पूर्व FIR की पूर्णरूपेण जानकारी थी, फिर भी उनके द्वारा निर्वाचन में इसका अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से तथ्यों को छुपाया गया। अपने दावे के समर्थन में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त थाना कांड संख्या 667/2021 दिनांक–11.07.2021 से उद्भूत GR Case No- 2917/2021 A.C.G.M. न्यायालय दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से प्राप्त सत्यापित प्रति का अवलोकन आयोग को कराया गया।

अंत में उनके द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया कि प्रतिवादी को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–447 सहपठित धारा–18(1)(b),(h) के आलोक में प्रतिवादी को पदमुक्त किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि विचाराधीन वाद आयोग में सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि आयोग बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–475 एवं धारा– 18 में वर्णित विषयों के अधीन ही अर्हता एवं निरर्हता संबंधी मामालों की सुनवाई कर सकता है।

उनके द्वारा आगे दावा किया गया कि वादी का आरोप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–447 से आच्छादित है, जिसमें निरर्हता का प्रावधान नहीं है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा एवं तथ्य छुपाने का आरोप भी सही नहीं है, क्योंकि उनके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा लिये गये संज्ञान का आदेश एवं इस संज्ञान के आलोक में उनके मुवक्किल को निर्गत किये गये नोटिस के वैध तामिला का कोई आदेश पटल पर नहीं लाया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि किसी व्यक्ति को जबतक सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत किए गए नोटिस का तामिला नहीं होता तो वह आपराधिक मुकदमा के लंबित होने की स्थिति से अवगत नहीं हो सकता।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि ज्योंही उनके विरूद्ध आयोग में वाद दायर किया गया तो उन्हें लंबित आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके उपरांत उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में उपस्थित हो कर खुद को दोषमुक्त कराया गया। अपने दावे के समर्थन में उनके द्वारा G.R. Case No- 2917/2021 में प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, सिल्लीगुड़ी के आदेश दिनांक–05.06.2024 का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें उन्हें Discharge कर दिया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–447 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा मामालें का संज्ञान लेने या आरोप गठित करने पर ही इसकी जानकारी देना आवश्यक है। नामांकन के पूर्व न तो सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, और न ही आरोप गठित किया गया है, बल्कि उन्हें दिनांक 05.06.2024 को सक्षम न्यायालय द्वारा वाद से Discharge कर दिया गया है। अतः वाद को खारिज किया जाना चाहिए।

आयोग द्वारा वादी, प्रतिवादी एवं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये, अभिलेखों के अलावा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के संगत प्रावधानों, राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार निर्गत नामांकन–प्रपत्र का गहन परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त तथ्य छुपाने (आपराधिक इतिहास) से संबंधित माननीय उच्चत्म न्यायालय के "सिविल अपील" नम्बर–1478/2015, कृष्ण मूर्ति बनाम् शिव कुमार एवं अन्य मामले में पारित न्याय–निर्णय से मार्ग–दर्शन प्राप्त किया गया, जिसका सार निम्नवत् है:–

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "सिविल अपील" नम्बर–1478/2015, कृष्ण मूर्ति बनाम् शिव कुमार एवं अन्य मामले में पारित न्याय–निर्णय से मार्ग–दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, जो निम्नवत् है:–

"86. In view of the above we would like sum up our conclusion:-

(a) Disclosure of criminal Antecedents of a candidate, especially, pertaining to heinous or serious offence or offences relating to corruption or moral turpitude at the time of filling of nomination paper as mandated by law is a categorical imperative.

(b) When there is non-disclosure of the offences pertaining to the areas mentioned in the preceding clause, it creates an impediment in the free exercise of electoral right.

(c) Concealment or suppression of this nature deprives the voters to make an informed and advised choice as a consequence of which if would come within the compartment of direct or indirect interference or attempt to interfere with the free exercise of the right to vote by the electorate, on the part of the candidate.

(d) As the candidate has the special knowledge of the pending cases where cognizance has been taken or charges have been framed and there is a non-

Disclosure on his part, it would amount to undue influence and, therefore, the election is to be declared null and void by the Election Tribunal under Section 100(1)(b) of the 1951 Act.

(e) The question whether if materially affects the election or not will not arise in a case of this nature."

उक्त न्याय–निर्णय के कंडिका–(d) से स्पष्ट है कि F.I.R. के उपरांत यदि सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया गया है, अथवा आरोपों का गठन कर दिया गया है, तो ही ऐसे मामलों को प्रकट नहीं करने पर अयोग्यता का मामला बनता है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा –18(1)(b) में अयोग्यता संबंधी ऐसे मामले हैं, जो विधानसभा निर्वाचन के लिए तत्समय प्रवृत विधि के अधीन अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करता हो। इस संबंध में **Representation of The people Act 1951** की धारा–100 सहपठित धारा–123(2) के तहत आपराधिक इतिवृत्ति को छिपाने को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायनिर्णय के तहत निर्वाचन रद्द किये जाने का कारण माना है, परन्तु इसकी शक्ति Election Tribunal under Section 100(1)(b) of the 1951 Act को प्रदान की गयी है। **Representation of The people Act 1951** की धारा–100(1)(b) एवं धारा–123(2) के समरूप प्रावधान बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 479 तथा धारा–481 में वर्णित है, जिसके तहत चुनाव याचिका के निष्पादन की शक्ति धारा–476 में वर्णित न्यायालयों में निहित है। स्पष्ट है कि ऐसे मामले जिसमें किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी आपराधिक इतिवृत्ति को छिपाया गया है तथा इस आधार पर उनके निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध किया जा रहा हो, तो इसकी सुनवाई की अधिकारिता बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–476 में वर्णित संबंधित न्यायालयों में निहित है। अतः वादी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी द्वारा आपराधिक इतिहास छुपाने के आधार पर उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया जाए, परन्तु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–445(i) में यह भी प्रावधान अंकित है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–445 (i) में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन हेतु उक्त अधिनियम की धारा–447(ग) में शास्ति(दंड) से दंडित किया जाए।

विचाराधीन मामले के तथ्यों से यह प्रमाणित पाया गया है कि दिनांक–15.01.2022 को **G.R. Case No- 2917/2021** में प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, सिल्लीगुड़ी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है। प्रतिवादी इसके उपरांत के सुनवाईयों में या तो स्वयं उपस्थित रहे हैं, अथवा इनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने के उपरांत नोटिस का तामिला नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि विहित प्रपत्र में लंबित मुकदमों अथवा निष्पादित मुकदमों की सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करने को अनिवार्य करने के पीछे स्पष्ट उद्देश्य है कि मतदाताओं को अपने

प्रत्याशियों के संबंध में प्रत्येक सूचना/जानकारी प्राप्त हो ताकि सभी के गुण–अवगुण का परीक्षण कर वे मतदान हेतु अपना अभिमत तैयार कर सकें।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में **G.R. Case No-2917/2021** में प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, सिल्लीगुड़ी द्वारा संज्ञान लिये जाने के बावजूद नामांकन–पत्र में विवरण अंकित नहीं किया गया है। यद्यपि इस वाद में उन्हें नामांकन के बाद Discharge कर दिया गया है, तथापि इस का विवरण अंकित करना बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानों के अधीन अनिवार्य है। अतः प्रमाणित है कि प्रतिवादी द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–445 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

अतएव जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, किशनगंज को आदेश दिया जाता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) एवं जिला दंडाधिकारी, किशनगंज के रूप में प्राप्त शक्तियों के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–445 में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन एवं गलत शपथ–पत्र दायर करने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानों (धारा–447) तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई करते हुए, अधिकत्तम दो सप्ताह में आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
19.02.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
19.02.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–21/2024 474 पटना, दिनांक–19.2.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **किशनगंज**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **किशनगंज** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **किशनगंज** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

19/2/25
विशेष कार्य पदाधिकारी